

झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

नामांतरण शुद्धि-पत्र



पता का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	धनबाद	हल्का	हल्का-01	
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग वर्तमान(VOL)	8	पृष्ठ संख्या वर्तमान	83	शाना न.	4	
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व शाना न.	शाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधूत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान	करोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	रजिस्ट्रार 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
21745	885 /R27 2022 - 2023	पाण्डरपाला/ 4	झरिया	06/07/2022	By Sale Registration Dated 27/04/2022	601 1 1992	601 91 2.64 हिस्मील	5
क्रेता का नाम : (DHARMENDRA KUMAR पति-SITA RAM SAW , जाति-----, पता-PANDERPALA DHANBAD)			समाबंटी रैयत का नाम : सुनील पाल वो बंधात पाल-सिता-केदार नाथ पाल			विक्रेता का नाम : ASHA DEVI , पति-KANHAI KUMAR , जाति-----, पता- BHULI BASTI DHANBAD		
राजस्व कर्मचारी हल्का-01 को आवश्यक कार्रवाई एवं सुनार्व हस्तान्तरित यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।				Signature valid ✓ Digitally signed by PRASANT KUMAR LAYAK अंचलाधिकारी धनबाद				



कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान |

Dharmendra Kumar

Copy
2022

आदेश

तिथि Jul 6 2022

आदेश पर की गई
कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदानुसार आवेदित जमीन मौजा पाण्डरपाला थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
601	91	0 एकड़, 2.64 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

बिक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
ASHA DEVI	पति	KANHAI KUMAR

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2613 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमति आशा देवी	पति	श्री कन्हई कुमार

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **5रुपये**
स्वीकृतअलावे सेस के साथ नामान्तरण
किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK
अचलाधिकारी धनबाद*Dharmendra Kumar*